निर्णय बईजलास डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.जिला कलक्टर,झालावाड़ (राज0)

मि0नं0 19/रेफरेन्स/ 13

उनवान रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन (प्रार्थी)

बनाम

01.भंवरलाल पुत्र देवा भील(मृत)
कायम मुकामान
(1)रामलाल पुत्र भंवरलाल नि0 रलायता तहसील झालरापाटन

02. कंवरलाल पुत्र देवा भील(मृत)
कायम मुकामान
(2/1)ग्यारसीलाल आ0 कंवरलाल भील नि0 रलायता तहसील झालरापाटन
(2/2)भैरूलाल आ0 कंवरलाल नि0 नई बस्ती असनावर तहसील असनावर
(2/3)हेमराज आ0 कंवरलाल भील नि0 रलायता तहसील झालरापाटन हाल मु0 बोरदा (भीमसागर) तहसील खानपुर

03.धन्ना पुत्र देवा(मृत)
कायम मुकामान
(3/1)बालचन्द आ0 धन्ना नि0 रलायता तहसील झालरापाटन
(3/2)लालचन्द आ0 धन्ना नि0 रलायता तहसील झालरापाटन
(3/3)कन्हैयालाल आ0 धन्ना नि0 रलायता तहसील झालरापाटन
(3/4)श्यामलाल आ0 धन्ना भील नि0 रलायता तहसील झालरापाटन

04.प्रताप पुत्र देवा भील

05.रूपचन्द पुत्र देवीलाल यादव नि0 झालावाड़(मृत)
कायम मुकामान
(5/1)कैलाश आ0 रूपचन्द यादव नि0 झालावाड़ हाल नि0 तासु इंजीनियरिंग वर्कशॉप रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने कस्बा रामगंजमण्डी तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
(5/2)दिनेश आ0 रूपचन्द यादव नि0 झालावाड़ हाल नि0 तासु इंजीनियरिंग वर्कशॉप रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने कस्बा रामगंजमण्डी तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
(5/3)नीलू पुत्री रूपचन्द यादव नि0 झालावाड़ हाल नि0 तासु इंजीनियरिंग वर्कशॉप रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने कस्बा रामगंजमण्डी तहसील रा0मण्डी जिला कोटा
(5/4)दाखीबाई बेवा आ0 रूपचन्द यादव नि0 झालावाड़ हाल नि0 तासु इंजीनियरिंग वर्कशॉप रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने कस्बा रामगंजमण्डी तहसील रा0मण्डी जिला कोटा

06.राजेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति बांसफोड़ नि0 झालावाड़ (अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स अन्तर्गत R.T.Act धारा 175 एंव L.R. Act की धारा 82 के अन्तर्गत

उपस्थिति :— पेरोकार सरकार प्रार्थी
श्री प्रवीण कुमार वर्मा अभिभाषक अप्रार्थीगण 1/1,3/2,3/3 व 4 की और से
श्री सुदामा राठोर अभिभाषक अप्रार्थीगण 2/1,2/3 की और से
श्री धारासिंह अभिभाषक अप्रार्थी 2/2 की और से
श्री बच्चूलाल अभिभाषक अप्रार्थी 6 की और से

जिला कलक्टर
झालावाड़

—: निर्णय :—

दिनांक 07.05.2018

प्रकरण तहसीलदार झालरापाटन द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम रलायता की आराजी ख0न0 411 की 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से 175—177 के अन्तर्गत सरकारी घोषित हुई थी। सरकारी घोषित होने के पश्चात यह भूमि जिस संवर्ग से सिवायचक घोषित हुई थी उसी संवर्ग के व्यक्ति को आंवटन की जानी चाहिये थी जबकि उक्त भूमि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को आंवटित कर दी गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लघंन होने से निरस्त योग्य है। तथा आवंटन के पश्चात हुए सभी परिवर्तन भी आवंटन निरस्ती के साथ निरस्त योग्य है। तहसीलदार झालरापाटन द्वारा रेफरेन्स मेंमों में अंकन किया है कि ग्राम रलायता में गत (भू प्रबन्ध से पूर्व)रेकार्ड में खसरा न0 273 की 6.17 भूमि भंवरलाल,कंवरलाल,प्रताप,धन्ना पिता देवा जाति भील के खाते दर्ज थी, उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि सहायक जिलाधीश झालावाड़ के आदेश 573/राजस्व/76 दिनांक 19.04.76 से R.T.Act धारा 175—177 के अन्तर्गत खाते से खारिज होकर नामा0 न0 156 दिनांक 15.06.76 से खाता सरकार दर्ज हुई। बन्दोबस्त के पश्चात उक्त भूमि का नया खसरा न0 411 क्षेत्रफल 4.02 बन गया। तथा यह भूमि पुनः भंवरलाल,कंवरलाल,प्रताप,धन्ना पिता देवा जाति भील के खाते दर्ज हो गई तत्पश्चात भू प्रबन्ध से पूर्व गत नामा0स0 156 का नवीन रेकार्ड (भू प्रबन्ध के पश्चात)में अमल किये जाने के लिये नामान्तरकरण पुनः दर्ज हुआ। नामान्तरकरण न0 7 दिनांक 28.05.77 से भूमि ख0न0 411 की 3.04 भूमि पुनः खाता सरकार दर्ज हुई। उक्त भूमि खाता सरकार दर्ज हेाने के पश्चात उपजिलाधीश झालावाड़ द्वारा दिनांक 23.10.77 को रूपचन्द पुत्र देवीलाल यादव निवासी झालरापाटन को आंवटित हुई जिसका नामा0 न0 30 दिनांक 13.12.78 गैरखातेदारी का स्वीकृत हुआ तत्पश्चात नामान्तरकरण स.119 दिनांक 30.12.88 से आंवटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। खातेदार रूपचन्द की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 20.07.2005 से दर्ज हुआ। रूपचन्द के वारिसान द्वारा उक्त आंवटन से प्राप्त भूमि को राजेश पुत्र मोहनलाल जाति बांसफोड़ नि0 झालावाड़ को दिनांक 05.03.2007 को बेचान कर दी गई जिसका नामान्तरकरण 369 दिनांक 09.03.2007 से खाते दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 369 से राजेश कुमार के खाते दर्ज भूमि ख0न0 411 की 03 बीघा 04 बिस्वा का नवीन खसरा न0 411/629 बन गया जिसका औद्योगिक रूपान्तरण दिनांक 30.04.2007 को हुआ जिसका नामान्तरकरण स. 379 दिनांक 11.05.2007 दर्ज हुआ। ग्राम रलायता की उक्त ख0न0 411 की 3 बीघा 04 बिस्वा भूमि जो अनुसूचित जनजाति से सिवायचक घोषित कीं गई भूमि को अनुसूचित जाति संवर्ग के व्यक्ति को आवंटन की गई उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात हुए सभी परिवर्तन भी आवंटन निरस्ति के साथ निरस्ति हेतु निवेदन किया है।

रेफरेन्स के संलग्न नकल जमाबन्दी ग्राम रलायता वर्ष 2017—20 खाता संख्या 22, 2034—37 खाता न0 53, 2038—41 खाता न0 109, 2043—46 खाता सं0 112, 2059—62 खाता सं0140, नकल मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण न0 156 गत ग्राम रलायता(छाया प्रति) ग्राम रलायता का नामान्तरकरण 7 , 30, 119, 312, 369 व 379, आवंटन आदेश 23.10.77 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण 1/1,3/2,3/3 व 4 की और से अभिभाषक श्री प्रवीण कुमार वर्मा, अप्रार्थीगण 2/1,2/3 की और से अभिभाषक श्री सुदामा राठोर, अप्रार्थी 2/2 की और से अभिभाषक श्री धारासिंह व अप्रार्थी 6 की और से अभिभाषक श्री बच्चूलाल उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण 3/1, 5/1 लगायत 5/4 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

बहस उभय पक्ष सुनी। पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि ग्राम रलायता की आराजी ख0न0 411 की 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से 175—177 के अन्तर्गत सरकारी घोषित हुई थी। सरकारी घोषित होने के पश्चात यह भूमि जिस संवर्ग से सिवायचक घोषित हुई थी उसी संवर्ग के व्यक्ति को आंवटन की जानी चाहिये थी जबकि उक्त भूमि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को आंवटित कर दी गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का स्पष्ट उल्लघंन होने से निरस्त योग्य है। तथा आवंटन के पश्चात हुए सभी परिवर्तन भी आवंटन निरस्ती के साथ

जिला कलक्टर
झालावाड़

निरस्त योग्य है। इस पर योग्य अभिभाषक श्री प्रवीण कुमार वर्मा अभिभाषक अप्रार्थीगण 1/1,3/2,3/3 व 4 श्री सुदामा राठोर अभिभाषक अप्रार्थीगण 2/1,2/3 श्री धारासिंह अभिभाषक अप्रार्थी 2/2 द्वारा संयुक्त रूप से कथन किया कि पूर्व में ग्राम रलायता में गत (भू प्रबन्ध से पूर्व)रेकार्ड में खसरा न0 273 की 6.17 भूमि भंवरलाल,कंवरलाल,प्रताप,धन्ना पिता देवा जाति भील के खाते दर्ज थी, उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि सहायक जिलाधीश झालावाड़ के आदेश दिनांक 19.04.76 से R.T.Act धारा 175–177 के अन्तर्गत दिनांक 15.06.76 से खाता सरकार दर्ज हुई तत्पश्चात पश्चात उक्त भूमि का नया खसरा न0 411 क्षेत्रफल 4.02 बन गया, तथा यह भूमि पुनः भंवरलाल,कंवरलाल,प्रताप,धन्ना पिता देवा जाति भील के खाते दर्ज हो गई । तत्पश्चात नामान्तरकरण न0 7 दिनांक 28.05.77 से भूमि ख0न0 411 की 3.04 भूमि पुनः खाता सरकार दर्ज हुई। उक्त भूमि गलत रूप से खाता सरकार दर्ज की गई है वापस अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे। इसी कम में अप्रार्थी कम 6 के अभिभाषक श्री बच्चू लाल द्वारा व्यक्त किया गया कि अप्रार्थीगण 5/1 लगायत 5/4 के पिता को नियमानुसार उक्त वर्णित आराजी दिनांक 23.10.77 को आंवटित हुई थी व उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो जाने से उक्त भूमि का औद्योगिक रूपान्तरण दिनांक 30.04.2007 हो चुका है। भूमि की किस्म परिवर्तन हो चुकी है । रेफरेन्स खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रलायता में गत (भू प्रबन्ध से पूर्व)रेकार्ड में 273 की 6.17 भूमि भंवरलाल,कंवरलाल,प्रताप,धन्ना पिता देवा जाति भील के खाते दर्ज थी, उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि सहायक जिलाधीश झालावाड़ के आदेश 573/राजस्व/76 दिनांक 19.04.76 से R.T.Act धारा 175–177 के अन्तर्गत खाते से खारिज होकर नामा0 न0 156 दिनांक 15.06.76 से खाता सरकार दर्ज हुई। तत्पश्चात (भू प्रबन्ध के पश्चात) परिस्थितिनुसार पुनः नामान्तरकरण न0 7 दिनांक 28.05.77 से भूमि ख0न0 411 की 3.04 भूमि पुनः खाता सरकार दर्ज हुई। उक्त भूमि खाता सरकार दर्ज होने के पश्चात उपजिलाधीश झालावाड़ द्वारा दिनांक 23.10.77 को रूपचन्द पुत्र देवीलाल यादव निवासी झालरापाटन को आंवटित हुई जो अनुसूचित जन जाति से भिन्न सवंर्ग का था। रूपचन्द के वारिसान द्वारा उक्त आंवटन से प्राप्त भूमि को राजेश पुत्र मोहनलाल जाति बांसफोड़ नि0 झालावाड़ को दिनांक 05.03.2007 को बेचान कर दी गई नामान्तरकरण संख्या 369 से राजेश कुमार के खाते दर्ज भूमि ख0न0 411 की 03 बीघा 04 बिस्वा का नवीन खसरा न0 411/629 बन गया जिसका औद्योगिक रूपान्तरण दिनांक 30.04.2007 को हुआ जिसका नामान्तरकरण स. 379 दिनांक 11.05.2007 दर्ज हुआ। ग्राम रलायता की ख0न0 411 की 3 बीघा 04 बिस्वा अनुसूचित जनजाति से सिवायचक घोषित की गई भूमि को अनुसूचित जन जाति से भिन्न जाति संवर्ग के व्यक्ति को आवंटन किया जाना जाहिर है। जबकि अनुसूचित जनजाति से सिवायचक घोषित की गई भूमि को अनुसूचित जन जाति से भिन्न जाति संवर्ग के व्यक्ति को आवंटन नही किया जा सकता उक्त भूमि को अनुसूचित जन जाति संवर्ग के व्यक्ति को ही आवंटन किया जा सकता है। नियम विरूद्ध किये गये उक्त आवंटन को नियमित रखा जाना हमारी राय में उचित नही है। ग्राम रलायता तहसील झालरापाटन की आराजी ख0न0 411 की 3.04 भूमि जिसका नियम विरूद्ध आवंटन दिनांक 23.10.77 को किया गया था उक्त आवंटन व उसके परिणाम स्परूप हुए सभी परिवर्तन को निरस्त करने की अनुशसां के साथ प्रकरण को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जावे। पक्षकारान को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में उपस्थित होने हेतु दिनांक 26.06.2018 निश्चित कर सूचना पत्र रजि0 भिजवाये जावें। उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जाकर पत्रावली निश्चित दिनांक से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़